न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—8/23 दायर दिनांकः— 06.07.2023

जीसीएमएस नं. 2023/301

1.प्रकाश पुत्र श्री रोशन जाति जांगिड निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—वादीसायल

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका प्रार्थी
2.श्री पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.03.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्थान भू राजस्व [अ]धिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 683 रकबा 0.09 है0 भूमि [ग्रा]म पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की है, उक्त [रि]कार्ड के मुताबिक मौके पर मौजूद हैं एवं प्रार्थीगण 0.09 है0 रकबे पर काबिज एवं दखील हैं, [ले]किन राजस्व नक्शा सीट में भूमि की पैमाईश करने पर रकबा मात्र 0.05 है0 ही बैठता है। बढ़ा [हु]आ 0.04 है0 रकबा खसरा नम्बर 682 की ओर निकलता है, जिसका संशोधन किया जाना आवश्यक [ए]वं न्याय संगत है। दिनांक 20.06.2023 को प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदारजी से रिकार्ड में संशोधन [क]र प्रार्थीगण के खेत खसरा न0 683 का सही नक्शा तरमीम करने की प्रार्थना की, तो श्रीमान ने [अ]दालत में वाद दायर करने को कहा गया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ [है]। जिसमें नक्शा दुरूस्ती करने का अधिकार श्रीमान जी को हैतथा बिनाय मुखास्मत, निवास फरीकेन [की] दृष्टि से एवं वादग्रस्त आराजी बाके ग्रामपट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में स्थित होने के [का]रण उक्त वाद की सुनवाई व समाअत का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को है। अंत में प्रार्थना [प]त्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न0 683 रकबा 0.09 है0, नक्शा सीट में संशोधित फरमाने [के] आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि ग्राम पट्टीनारायणपुर में खसरा न0 683 रकबा 0.09 है0 स्थित है जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में तथा खसरा न0 682 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी मुके... पुत्र रोशन हिस्सा 2/3, विमला देवी पत्नि नाहर सिंह ... के 1/3 हिस्सा के नाम खातेद... में दर्ज रिकार्ड है, दोनो आराजियात का नक्शा सीट ... करने पर खसरा न0 682 रकबा 0.16 है0 के स्थान पर 0.20 है0 तथा खसरा न0 683 रकबा 0.09 है0 के स्थान पर 0.05 का नक्शा सीट गणना करने पर पाया गया है। मुताबिक नक्शा सीट में खसरा न0 682 में 0.16 तथा खसरा न0 683 में 0.09 है0 ही कायम किया जाना उचित बताते हुये मूल रिपोर्ट भू अभि... निरिक्षक महुइब्राहिम व पटवारी हल्का रेवई की भिजवाई गयी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमावंदी सम्वत 2069—72 तथा [नक्शा] सीट की प्रमाणित प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उभय पक्षकार अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड
हसीलदार हिण्डौन से प्रार्थना पत्र में प्राप्त जबाब प्रार्थना पत्र के साथ, भू अभिलेख निरीक्षक
इब्राहिमपुर तथा पटवारी हल्का रेवई की रकबा बरारी रिपोर्ट मय नक्शा सीट का अवलोकन
र पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2069-72 में प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा 0.09 है० है
नक्शा सीट में तरमीम मात्र 0.05 है० की है तथा पास की आराजी खसरा न0 683 की
री का रकबा 0.16 है० है किन्तु नक्शा सीट में 0.20 है० तरमीम किया गया है जो कि विधि
भू प्रबन्ध विभाग को कमी बेशी करने का अधिकार नहीं है। इसी कमी बेशी रकबा की गणना
दार हिण्डौन ने कराली गयी है और अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस में लाल
से खसरा न0 682 में दर्शाया गया है। जिसे प्रार्थीगण के हक में नक्शा सीट में दुरूस्ती किया
आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
र किया जाता है। आराजी खसरा न0 683 रकबा 0.09 है० में कमी रकबा 0.04 है० की पूर्ति
न0 682 रकबा 0.16 है० में बढ़ा रकबा 0.04 है० की जावे।
तहसीलदार हिण्डौन के जबाब के प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का रेवई व भू0 अभिलेख
ण महू इब्राहिमपुर के नक्शा बरारी, रकबा सीट निर्णय का पार्ट रहेगा। इसी अनुसार वर्तमान
रिकार्ड पटवार मण्डल में ग्राम पट्टीनारायणपुर में लट्ठा सीट में अंकन किया जावे। अमल
हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/3/24

हेमराज गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested